

पद का नाम	गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक (पूजीगत बाजार) के पद की एक (01-अ.पि.व.) रिक्ति।	
विज्ञापन संख्या	04/2023	
रिक्ति संख्या	23020401425	
लघुसूचीबद्ध करने के लिए अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	-
	ईडब्ल्यूएस	-
	अ.पि.व.	अ.यो.-(क)+वा.यो.
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	87 & 130. (02 उम्मीदवार)
कम पाए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्याधीन अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किए गए	अनुक्रमांक	60*. (01 उम्मीदवार)

* यदि, उम्मीदवार निर्धारित तारीख से पहले अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसका आवेदन "अपूर्ण" श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

: अस्वीकृत :

लघुसूचीबद्ध नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अस्वीकृत श्रेणी	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-क	10, 54, 105 & 113. (04 उम्मीदवार)
	एलडीक्यू	42, 57, 62, 81, 93 & 115. (06 उम्मीदवार)
	:अपूर्ण:	
	अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	06*, 11, 13, 16, 71, 89, 108 & 123. (08 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्यों का स्वरूप नहीं	53, 63. & 124. (03 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पत्र के दस्तावेज स्वीकार्य नहीं	79. (01 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	09. (01 उम्मीदवार)
विचारार्थ क्षेत्र में नहीं	शेष 110 आवेदन विचारार्थ क्षेत्र नहीं आते हैं।	

30/04/2024

*अनुक्रमांक 06 की उम्मीदवारी (एलडीक्यू) के तहत अस्वीकृत की जाती है।

महत्वपूर्ण अनुदेश:

वे उम्मीदवार जो इस पद के साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघुसूचीबद्ध करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और मापदंडों के अनुसार अपने आवेदन अस्वीकृत होने के कारण अभ्यावेदन करने के इच्छुक हैं, वे दिनांक **05.05.2024** तक उचित आधारों/कारणों के साथ अभ्यावेदन **sort4.upsc@nic.in** पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तारीख के पश्चात प्राप्त मेल खोली नहीं जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दर्शाए गए आधारों/कारणों, अपनाए गए मानदंडों एवं मापदंडों के अनुसार सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को लघुसूचीबद्ध किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। हालांकि, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संदर्भ में ही उसकी जांच की जाएगी। यदि इसमें कोई परिवर्तन पाया जाता है तो इसके पश्चात, संशोधित और अद्यतित संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड की जाएगी। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का व्यक्तिगत रूप से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा।

अपनाए गए मानदंड	<p>i) संवीक्षा पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर (पी पी एस) का प्रयोग करते हुए पहले, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में दी गई जानकारी/किए गए दावे के अनुसार और तत्पश्चात केवल उन्हीं उम्मीदवारों, जो प्रथम दृष्टया ऑन-लाइन आवेदन में दी गई जानकारी/किए गए दावे के आधार पर पात्र पाए गए हों, के ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों की संवीक्षा करके ऑन-लाइन की गई है।</p> <p>ii) पूंजीगत बाजार में दावा किए गए अनुभव को संगत माना गया है यदि आवेदक के पास निम्नलिखित में/सहित कम से कम 2 वर्षों का अनुभव है:</p> <p>a) भारत में पूंजीगत बाजार नियामक।</p> <p>b) विधिक एवं नियामक संरचना- पूंजी और प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानून।</p> <p>c) भारत में पूंजी, ऋण और मुद्रा बाजार - बुनियादी संस्थाएं - संरचना और संस्थागत तंत्र।</p> <p>d) पूंजी और प्रतिभूति बाजार सुधार और नियामक उपाय।</p> <p>e) पूंजीगत बाजार दस्तावेज जैसे-शेयर, ऋण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पेपर, म्यूचअल फंड जीडीआर/एडीआर/आईडीआरएस, डेरीवेटिव, सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) आदि।</p> <p>f) रेटिंग एजेंसी के कार्य।</p> <p>g) प्रतिभूति बाजार मध्यस्थता-प्राथमिक और द्वितीयक-भूमिका और कार्य अनुभव।</p> <p>h) व्यापारी बैंकर/स्टॉक ब्रोकर, रजिस्ट्रार, अन्डरराइटर, एक मुद्दे हेतु बैंकर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, ऋण पत्र न्यासी, विदेशी संस्थागत निवेशक, निक्षेपागार, निक्षेपागार प्रतिभागी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आदि की भूमिका।</p> <p>i) वित्तीय दस्तावेजों के लिए लेखांकन।</p> <p>j) स्टॉक एक्सचेंज और सूचीबद्ध कंपनियां।</p> <p>k) कारपोरेट की सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षा।</p> <p>l) सेबी, स्टॉक ब्रोकर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, वृहत लेखापरीक्षा फर्म, बैंक (कारपोरेट ऋणों का मूल्यांकन एवं प्रोसेस करना) के साथ कार्य करना।</p> <p>iii) उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में यथा प्रस्तुत कुल अनुभव पर विचार किया गया है। संवीक्षा के लिए केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में दावा किए गए अनुभव पर विचार किया गया है और ओआरए के अनुभव कॉलम में बिना इसके संदर्भ के संलग्न किए गए प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iv) ऐसे उम्मीदवार जिनका अनुभव भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में नहीं है उन्हें एलडीक्यू के तहत अस्वीकृत किया जाता है।</p>
------------------------	--

30/04/2024

- (v) आयोग के परिपत्र सं.एफ.8//4/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र में विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।
- (vi) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्र और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र उस स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र पर अनुभव के प्रमाण के रूप में विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों संगत अनुभव की कमी के रूप में भी माना गया है लेकिन 'अपूर्ण' श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया गया है।
- (vii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों का स्वरूप स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। तथापि, जिन मामलों में वर्तमान/पिछले रोजगार से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र पूर्ण नहीं है, उन्हें दावा किए गए अनुभव के समर्थन में पूर्ण और अद्यतित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन लघुसूचीबद्ध किया गया है।
- (viii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।

नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>> आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

संकेतक:

एलईक्यू-क अनिवार्य योग्यता-क में कमी-(शैक्षिक)

एलडीक्यू-वांछनीय योग्यता में कमी।

ई सी - अनुभव प्रमाण-पत्र

एन ओ डी - कार्य का स्वरूप

Deenendra Singh
30/04/2024

(ए.एन.मिश्रा)

उप सचिव (भ.-IV)

फोन नं.:011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।